तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **नाथूलाल बनाम सरकार** **अपील संख्या 465/2020(जीसीएमएस नम्बर 2020/00747)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.22	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 06.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत कर उक्त निर्णय दिनांक 06.10.2017 को निरस्त कराना एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 14.06.1999 को बहाल कराने का अनुतोष चाहा गया है जबकि कानूनन पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र के माध्यम से केवल लिपिकीय त्रुटियों को ही दुरूस्त कराया जा सकता है एवं न्यायालय के किसी भी निर्णय से यदि कोई पक्षकारान असंतुष्ट है तो इसके लिये उन्हे अपर न्यायालय में अपील/रिविजन प्रस्तुत करने के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त किये गये है जिसके तहत प्रार्थीगण भी यदि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 06.10.2017 से असंतुष्ट है तो प्रार्थीगण आदेश दिनांक 06.10.2017 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील/रिविजन इत्यादि प्रस्तुत कर चाराजोही कर सकते है। पत्रावली के अवलोकन आदेश अधीन पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र में कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का पुनराविलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पुनराविलोकन सारहीन व बलहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त जयपुर।	